

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं अन्य सौख्य प्रदान, अमरोहा।

पत्रांक /14-1,दिनांक, अमरोहा,जनवरी 06 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय :- अमरोहा-कॉट मार्ग (M.D.R-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ :- आप का पत्र संख्या 1480/अमरोहा/25152/2017, दिनांक 01.12.2017,
महोदय

उपरोक्त विषयक अमरोहा-कॉट मार्ग (M.D.R-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति बावत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आप द्वारा बिन्दुवार की गई आपत्तियों का निराकरण करते हुए निम्नवत् बिन्दुवार आख्या/अभिलेख आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है :-

Observation No.	Observation of GOI	Reply/Modification
1.	बिन्दु-1 के क्रम में संशोधित पावर आफ अटार्नी पृष्ठ-33 पर संलग्न है, जबकि पत्र में पृष्ठ-7 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। उक्त के अतिरिक्त उक्त संशोधित पावर ऑफ अटार्नी को ऑनलाइन पार्ट-1 पर अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड करें।	,संशोधित पावर ऑफ अटार्नी को ऑनलाइन पार्ट-1 पर अपलोड करते हुए प्रस्ताव के पेज संख्या 23 पर संलग्न कर दिया गया है।
2.	बिन्दु-2 के क्रम में ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-1(9) व बी-2.1 से 2.4 पर गैर वनभूमि का क्षेत्रफल अपलोड नहीं किया गया है।	बिन्दु-2 के क्रम में ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-1(9) व बी-2.1 से 2.4 पर गैर वनभूमि का क्षेत्रफल अपलोड कर दिया गया है।
3.	बिन्दु-3 के क्रम में प्रस्तावित वनभूमि के संशोधित डिजिटल मैप को ऑनलाइन पार्ट-1 पर अपलोड नहीं किया गया है।	प्रस्तावित वनभूमि के संशोधित डिजिटल मैप को ऑनलाइन पार्ट-1 पर अपलोड कर दिया गया है।
4.	बिन्दु-4 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव के साथ एवं ऑनलाइन 1:50000 स्केल के मूल टोपोशीट में चिन्हित कर संलग्न एवं अपलोड नहीं किया गया है।	प्रस्ताव के साथ एवं ऑनलाइन 1:50000 स्केल के मूल टोपोशीट में चिन्हित कर संलग्न एवं अपलोड कर दिया गया है, जोकि प्रस्ताव के पेज संख्या 19 व 19 ए पर संलग्न है।
5.	बिन्दु-5 के क्रम में प्रस्ताव के पृष्ठ-79 से 81 तक संलग्न अभिलेख सुसंगत नहीं है। परियोजना में विद्यमान R.O.W प्रस्तावित वनभूमि एवं चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष वनभूमि एवं गैर वनभूमि का	परियोजना में विद्यमान R.O.W प्रस्तावित वनभूमि एवं चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष वनभूमि एवं गैर वनभूमि का चैनेजवार गणना पेज संख्या 79 पर संलग्न है, एवं तत्संबंधी

	चैनेजवार अलग-अलग गणना संलग्न नहीं है।	चैनेजवार मैप पेज संख्या 80 एवं 81 पर संलग्न है।
6.	क्षतिपूरक वनीकरण एवं दण्डात्मक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को सर्वे आफ इंडिया की 1:50000 स्केल के मूल टोपाशीट में चिन्हित कर संलग्न एवं अपलोड नहीं किया गया है।	क्षतिपूरक वनीकरण एवं दण्डात्मक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को सर्वे आफ इंडिया की 1:50000 स्केल के मूल टोपाशीट में चिन्हित कर पेज संख्या 19 पर संलग्न है।

भवदीय

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।

पत्रांक 1710 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।
2. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18 सी0एण्ड0डी0एस0 उत्तर प्रदेश जलनिगम मुरादाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त प्रस्ताव की मूल प्रतियां इस प्रभाग से प्राप्त कर प्रस्ताव उच्च स्तर से स्वीकृत करायें।

(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग